समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला भविष्य निधि कोषाग)

-: अल्पकालिक निविदा आमंत्रण सूचना :-

समाहरणालय, मधुबनी अन्तर्गत जिला भविष्य निधि कार्यालय, मधुबनी के लिए Silent Water Cooled (Single Phase) 7.5 KVA क्षमता के जेनरेटर का DGS&D मानक एवं प्रावधानों के अनुरूप क्रय हेतु प्राप्त निर्माता अथवा उनके द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा दिनांक 17.02.2014 के अपराह्न 3:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरियर/व्यक्तिगत रूप से जिला भविष्य निधि कार्यालय, मधुबनी के कार्यालय में समर्पित किया जा सकता है तथा उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे जिला पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा। निविदा खोले जाने के समय निविदा दाता या प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

इससे संबंधित सूचना मधुबनी के वेबसाईट www.madhubani.bihar.nic.in पर उपलब्ध है।

निविदा अलग-अलग दो मुहरबंद लिफाफा में निम्नवत् शर्तो के अधीन देना होगा।

A- तकनीकी निविदा (लिफाफा-ए) Envelope A

1. निविदा दाता को जमानत के रूप में कुल 10,000.00 (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चेक जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से संलग्न करना होगा।
2. निविदा दाता/फर्म को वाणिज्यकर निबंधन एवं आयकर निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा दाता का प्रतिष्ठान किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. निविदा दाता फर्म को निर्माता/प्राधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

B- वित्तीय निविदा (लिफाफा-बी) Envelope B

1. लिफाफा बी में जेनसेट का दर सभी कर सहित होगा तथा अधिष्ठापन मूल्य अलग से अंकित करना होगा। अधिष्ठापन मूल्य को शामिल कर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जाएगा।

वित्तीय निविदा निम्न प्रपत्र में देना होगा :-

जेनसेट का प्रकार	जेनसेट का मूल्य (सभी कर सहित)	अधिष्ठापन लागत	कुल मूल्य

अन्य शर्तें :–

1. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा (लिफाफा ए) को खोला जायेगा एवं सभी कागजातों के जॉचोपरान्त संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनसे संबंधित वित्तीय निविदा (लिफाफा बी) खोला जायेगा।
2. जेनसेट आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर जेनसेट अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा। सामग्री आपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय हेतु अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।
3. जेनसेट आपूर्ति के लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा। जेनरेटर के मूल्य का भुगतान आवश्यक कर/वैट इत्यादि की कटौती एवं गुणवता जॉच के उपरान्त ही किया जाऐगा।
4. सफल निविदादाता को आपूर्त्ति आदेश के पूर्व आयकर एवं वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
5. निर्धारित अवधि के अंदर जेनसेट की आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता के जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. निविदाकर्त्ता को आपूर्ति किये जाने वाले जेनसेट का कम से कम दो वर्ष की गारंटी देनी होगी।
7. सामग्री की आपूर्त्ति समाहरणालय स्थित (विकास भवन) जिला भविष्य निधि कार्यालय, मधुबनी में करनी होगी।
8. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाऐगा।
9. निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाऐगी।
10. जिला पदाधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट WWW.madhubani.bihar.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।